जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 09.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गये कंप्यूटर सम्बंधी उपकरणों एवं अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.09.2024 को वादी श्री अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक महाप्रबन्धक RAM office बैराज रोड निवासी एसडी पुरम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 05.09.2024 की रात्रि में अज्ञात अभियुक्त द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की शाखा RAM office बैराज रोड बिजनौर में पीछे की तरफ से Ventilation Window को तोडकर 01 Scanner, 02 KeyBoard 03 Mouse चोरी कर लिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 855/2024 धारा 305(e) / 330(2)(c) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 09.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त प्रदीप पुत्र राजेश निवासी काशीराम कॉलोनी, आवास विकास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रदीप के कब्जे से चोरी किया गया 01 स्कैनर, 02 की-बोर्ड, 03 माउस एवं 01 अवैध चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रदीप पुत्र राजेश निवासी काशीराम कॉलोनी, आवास विकास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 स्कैनर

02 की-बोर्ड

03 माउस

01 अवैध चाकू

अभियुक्त प्रदीप का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 842/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 980/2023 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 152/2017 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 725/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 855/2024 धारा 305(e)/330(2)(c)/317(2) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 1410 रवि अन्तिल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 1036 सुमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.कां0 119 अरशद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 09.09.2024**

फ्री मे ट्यूशन पढाने का झांसा देकर कस्बा नगीना व कस्बा नहटौर मे छोटी बच्चियों के कानों की बालियां ले जाने वाली दो महिला अभियुक्ताओं को थाना नगीना पुलिस द्वारा पीली धातु की चार जोडी बालियों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.08.2024 को वादी श्री रिजवान पुत्र इरफान अहमद निवासी मौ0 लुहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर एक अज्ञात महिला के विरुद्ध फ्री मे ट्यूशन पढाने के बहाने से इनायत पुत्री रफीक अहमद कुरैशी एवं इमरा पुत्र रिजवान निवासीगण मौ0 लुहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के कानों की बालियां धोखाधडी कर ले जाने के संबंध मे मु0अ0सं0 239/2024 धारा 316(2) / 318(4) / 319(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया।

दिनांक 12.08.2024 को वादी श्री जावेद पुत्र महबूब अहमद निवासी मौ0 शीशग्रान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहटौर पर अज्ञात महिला के विरुद्ध जुनैरा पुत्री जावेद व हुदा पुत्री खालिद निवासीगण मौ0 शीशग्रान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को भी फ्री मे ट्यूशन पढाने के बहाने से साथ ले जाकर कानों की बालियां धोखाधडी कर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 290/2024 धारा 316(2) / 318(2) / 319(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया।

कार्यवाही का विवरण –

घटना स्थल के आस पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्र की गयी तथा उक्त हुलिया वाली महिलाओं की जानकारी की गयी तो आज दिनांक 09.09.2024 को उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आयी 02 महिला अभियुक्त 1-नगमा परवीन पुत्री अनवर अहमद 2-आशिया पुत्री अनवर अहमद निवासीगण मौ0 पठानपुरा वार्ड नम्बर 18 कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं के कब्जे से कस्बा नगीना व नहटौर की घटनाओं मे बच्चियों से धोखाधडी से ली गयी कुल चार जोडी बालियां बरामद हुई। अभियुक्ताओं को देखकर पीडित बच्चियों ने बताया कि इनके द्वारा ही फ्री मे ट्यूशन पढाने का लालच देकर उनके कानों की बालियां ली थी।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्ताओं ने बताया कि हम दोनों सगी बहने हैं। हम दोनों आस पास के कस्बों मे जाकर अपनी माँ की बीमारी के कागज दिखाकर लोगों से मदद ने नाम पर कुछ रुपये इक्ट्ठा करते हैं। उसी दौरान लोगों के घरों मे आते जाते यह भी देख लेते हैं कि किसके बच्चों के कानों मे सोने के कुण्डल हैं और उसके बाद उसी मौहल्ले मे जाकर लोगों को फ्री मे ट्यूशन पढाने की सरकारी स्कीम के बारे मे बताकर उन बच्चियों को अपने साथ ले जाकर उन्हें बहाने से बहला फुसलाकर कानों के कुण्डल उतरवाकर ले जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं के नाम –

1-नगमा परवीन पुत्री अनवर अहमद निवासी मौ0 पठानपुरा वार्ड नम्बर 18 कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर

2-आशिया पुत्री अनवर अहमद निवासी मौ0 पठानपुरा वार्ड नम्बर 18 कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

पीली धातु की चार जोडी (कुल 08) बालियां

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्ता नगमा का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 239/2024 धारा 316(2), 318(4), 319(2) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 290/2024 धारा 316(2), 318(4), 319(2) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर

अभियुक्ता आशिया का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 239/2024 धारा 316(2), 318(4), 319(2) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर

2-है0कां0 730 विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

3-कां0 1580 ललित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

4-म0कां0 183 सुमन थाना नगीना जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर　　　　**दिनांक – 09.09.2024**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 40 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाहीः–

दिनांक 01.07.2020 को वादिनी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 25.06.2020 को रात्रि के समय अभियुक्त उसमान पुत्र निसारुलहक निवासी रवाना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने वादिनी की नाबालिग पुत्री (तत्कालीन उम्र करीब 11 वर्ष) के साथ गलत नियत से छेडछाड की गयी। इस प्रकार की घटना उसमान ने पहले भी वादिनी की पुत्री के साथ की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 287/20 धारा 354 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम उसमान उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.09.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त उसमान पुत्र निसारुलहक निवासी रवाना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 40 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से 90,000 /- रुपये पीडिता को प्रतिकर के रुप में देय होंगे।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

उसमान पुत्र निसारुलहक निवासी रवाना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 09.09.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 2,00,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाहीः–

दिनांक 17.01.2021 को वादिनी अनजुम पुत्री अ0 मलिक निवासी चकमहमूद सानी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 16/17.01.2021 की रात्रि में एक व्यक्ति उनके घर में घुसा तथा छत पर सो रहे वादिनी के पिता अ0 मलिक की गर्दन काट दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी तथा वादिनी की माता वकीला व बहनोई फईमुद्दीन पर भी हमला कर घायल कर दिया। वादिनी का अपने पति रिजवान पुत्र हबीब निवासी ग्राम भलेडी थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर से विवाद चल रहा था । वादिनी व वादिनी की छोटी बहन मुस्कान ने रिजवान को पहचाना है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 35/21 धारा 452 / 302 / 307 भादवि बनाम रिजवान उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.09.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-1, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 35/21 धारा 458 / 302 / 307 भादवि के आरोपी अभियुक्त रिजवान पुत्र हबीब निवासी ग्राम भलेडी थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर को आजीवन कारावास एवं 2,00,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की संपूर्ण धनराशि जमा होने पर वादिनी मुकदमा को आधी धनराशि बतौर प्रतिकर दी जायेगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

रिजवान पुत्र हबीब निवासी ग्राम भलेडी थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 09.09.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 445/24 धारा 333/131/74/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.09.2024 को वादिनी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त नदीम द्वारा वादिनी की दुकान पर आकर वादिनी के साथ अभद्रता की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 445/24 धारा 333/131/74/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नदीम पुत्र गुलजार निवासी मौ0 जुमेरात का बाजार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम पुत्र गुलजार निवासी मौ0 जुमेरात का बाजार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.का0 2082 बिन्टु कांदोल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर   दिनांक – 09.09.2024

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 242/24 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.06.2024 को थाना नहटौर पर वादी की तहरीर प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण 1.कफिल अहमद पुत्र यामीन निवासी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर, 2.आनन्द कुमार पुत्र रामदास, 3. मेहर सिंह पुत्र गेंदा सिंह निवासीगण ग्राम रामपुरदास थाना नगीना जनपद बिजनौर, 4.पारूल रानी पुत्री अंकुश कुमार निवासी रामपुर किशना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 5.शक्ति सिंह पुत्र मनवीर निवासी ग्राम महमदा कोराला जनपद अमरोहा द्वारा वादी के साथ धोखाधडी करते हुए फर्जी बैनामा / कागजात तैयार कर वादी से कुल 160,00,000/- रुपये हडप लिये गए तथा पैसे वापस मांगने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कफिल अहमद पुत्र यामीन निवासी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित आनन्द कुमार व मेहर सिंह उपरोक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कफिल अहमद पुत्र यामीन निवासी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.का0 830 धर्मेन्द्र थाना नहटौर जनपद बिजनौर

3.का0 695 नवीन थाना नहटौर जनपद बिजनौर

4.का0 749 राजदीप थाना नहटौर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 09.09.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 17 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 17 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शिवाला कलां	नरेश पुत्र अमर सिह निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
2	शिवाला कलां	रामअवतार पुत्र बलवीर सिह निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
3	हल्दौर	सोनू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4	मंडावली	अजयपाल पुत्र स्व0 शीशपाल सिंह नि0 ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर
5	नूरपुर	महेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ0 गांधीनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6	रेहड	करतार पुत्र बब्लू सिंह निवासी ग्राम फतैहपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर
7	स्योहारा	जावीर आलम पुत्र नईम अहमद नि0 ग्राम रवाना शिकारपुर थाना स्योहारा,बिजनौर
8	चांदपुर	कक्कू पुत्र हैदर निवासी कस्बा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
9	नहटौर	रेती पुत्र घसीटा नि0 ग्राम गिलाडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर
10	नहटौर	टीकम सिंह पुत्र परवीन सिंह नि0 ग्राम गिलाडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर
11	नहटौर	राजेन्द्र सिंह पुत्र शिखर चन्द्र नि0 ग्राम गिलाडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर
12	नहटौर	नईम पुत्र निजामुद्दीन नि0 ग्राम खजूरा जट थाना नहटौर जनपद बिजनौर
13	नहटौर	साहिल पुत्र निजामुद्दीन नि0 ग्राम खजूरा जट थाना नहटौर जनपद बिजनौर
14	नहटौर	सोनू पुत्र ब्रहमपाल नि0ग्राम फलौदी थाना नहटौर बिजनौर
15	नहटौर	रोहित कुमार पुत्र लल्लू राम शर्मा नि0ग्राम पुड्डा पुड्डी थाना नहटौर बिजनौर
16	नहटौर	भूरे खां पुत्र अहमद हसन नि0ग्राम करीमपुर मुबारक थाना नहटौर जनपद बिजनौर
17	कोतवाली देहात	अमन पुत्र शमीम निवासी रहमुल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली देहात,बिजनौर

थाना शिवाला कलां

थाना हल्दौर

थाना मंडावली

थाना नूरपुर

थाना रेहड

थाना स्योहारा

थाना चांदपुर

थाना नहटौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 09.09.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 786/2024 धारा 309(6)/61(2) बीएनएस में वांछित दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत मंडावर रोड स्थित जीडी मार्बल दुकान मालिक शौर्य पुत्र विवेक निवासी एसडी पुरम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर जैसे ही अपनी दुकान के सामने खडी गाडी में बैग रखने पहुंचे तो उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति पैदल मौके पर आये और उनसे बैग छीनकर भाग गये, जिसमे दुकान की ब्रिकी से प्राप्त नगदी, लैपटॉप, बिल व एक पुराना फोन था।

सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के आसपास के कैमरो की फुटेज चेक की गयी तथा जनपद में सघन चेकिंग करायी गयी तो उक्त बैग कुछ दूरी पर पुलिस टीम को मिल गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 786/24 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया । घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.गौतम कुमार पुत्र सुभाष 2.अमर पुत्र विजय 3.जियाज पुत्र टेनी, 4.रघुवीर पुत्र कद्दू, 5.अनस पुत्र मुल्ला, 6.वरुण पुत्र ब्रजपाल निवासीगण ग्राम चांदपुर फेरू थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 09.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अमर सिंह पुत्र विजय सिंह व 2.अनस पुत्र मुल्ला निवासीगण ग्राम चांदपुर फेरू थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अमर सिंह के कब्जे से उपरोक्त घटना से संबंधित एक अवैध चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई।

नोट- दिनांक 08.09.2024 की रात्रि में स्वाट/सर्विलांस व कोतवाली शहर पुलिस टीम ने उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त गौतम कुमार पुत्र सुभाष निवासी ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1- अमर सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

2- अनस पुत्र मुल्ला निवासी ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त अमर सिंह से घटना से संबंधित एक अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमर सिंह उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 786/2024 धारा 309(6)/61(2) बीएनएस व धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना को0 नगर बिजनौर

2- मु0अ0स0 290/2022 धारा 395/397/506/412/120बी भादवि थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार।

3- मु0अ0स0 576/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनस उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 786/2024 धारा 309(6)/61(2) बीएनएस थाना को0 नगर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- निरीक्षक श्री उदय प्रताप थाना प्रभारी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

2- व0उ0नि0 श्री प्रवीण मलिक थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

3- उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

4- उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

5- हे0का0 402 धर्मवीर थाना को0शहर जनपद बिजनौर

6-का0 1084 मोहित कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

7-का0 2543 शुभम थाना को0शहर जनपद बिजनौर

8-का0 1198 संदीप कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 09.09.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 425/24 धारा 74/351(3) बीएनएस, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.09.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फरदीन पुत्र तहसीन निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की धेवती के साथ छेडछाड की गई तथा उसके परिजनो को जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 425/24 धारा 74/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया । थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.फरदीन 2.मौ0 रिहान 3.सुल्तान व 4.मौ0 आफताब को गिरफ्तार किया जा चुका है । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 09.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आयी अभियुक्ता फरहीन पुत्री मौ0 तहजीब निवासी नई बस्ती थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

फरहीन पुत्री मौ0 तहजीब निवासी नई बस्ती थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2-हे0कां0 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3-म0कां0 243 रेशमा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 09.09.2024**

स्वाट/सर्विलांस व थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 786/2024 धारा 309(6)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र, मोटरसाइकिल व 02 मोबाईल फोन बरामद किये गये।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत मंडावर रोड स्थित जीडी मार्बल दुकान मालिक शौर्य पुत्र विवेक निवासी एसडी पुरम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर जैसे ही अपनी दुकान के सामने खडी गाडी में बैग रखने पहुंचे तो उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति पैदल मौके पर आये और उनसे बैग छीनकर भाग गये, जिसमे दुकान की ब्रिकी से प्राप्त नगदी, लैपटॉप, बिल व एक पुराना फोन था।

सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के आसपास के कैमरो की फुटेज चेक की गयी तथा जनपद में सघन चेकिंग करायी गयी तो उक्त बैग कुछ दूरी पर पुलिस टीम को मिल गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 786/24 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.गौतम कुमार पुत्र सुभाष 2.अमर पुत्र विजय 3.जियाज पुत्र टेनी, 4.रघुवीर पुत्र कद्दू, 5.अनस पुत्र मुल्ला, 6.वरुण पुत्र ब्रजपाल निवासीगण ग्राम चांदपुर फेरू थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 08.09.2024 की रात्रि में थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राम फरीदपुर भोगी की नहर की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये ग्राम फरीदपुर भोगी की नहर की पुलिया पर चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश ने मोटरसाइकिल को कच्चे रास्ते की तरफ मोड दिया जिससे मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी और नहर की पटरी पर भागते हुए बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी, बदमाश द्वारा की गयी फायरिंग में एक गोली उ0नि0 मृदुल कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में बदमाश के बांये पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घायल को जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया।

घायल बदमाश ने अपना नाम 1- गौतम कुमार पुत्र सुभाष निवासी ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 03 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल, दो मोबाईल फोन(एक मोबाइल फोन लूट से संबंधित) बरामद किये गये। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 858/24 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मण्डावर रोड बिजनौर स्थित जीडी मार्बल्स दुकान पर ट्रक से टाईल्स पत्थर उतारने के लिये मजदूरी करने के लिये आता रहता था तभी हमने देखा था कि दुकान के मालिक शौर्य के यहाँ पर टाईल्स पत्थर की बिक्री का काफी पैसा शाम तक इकट्ठा हो जाता था और वह प्रतिदिन शाम को दुकान बन्द करके बैग मे पैसे रखकर अपनी गाडी से अकेला घर जाता था, जिसकी जानकारी हमारे साथी वरूण को रहती थी। मैने वरूण से जानकारी लेकर अपने गांव के 1.जियाज पुत्र टेनी 2.रघुवीर पुत्र कद्दू 3.अनस पुत्र मुल्ला 4.वरुण पुत्र ब्रजपाल 5.अमर पुत्र विजय को दी थी और हम सभी ने मिलकर दुकान मालिक शोर्य के पैसे लूटने की योजना बनाई। हम सभी ने कई दिनों तक रैकी की लेकिन मौका नही मिला। दिनांक 17.08.2024 को वरूण ने हमे बताया था कि आज दुकान पर ठीक ठाक पैसा है। हम दो मोटरसाइकिलों से आये जो हमने दुकान से दूर खडी कर दी थी और हम सब लोग दुकान के आस पास घूमते रहे। शाम के समय करीब 07.45 बजे जीडी मार्बल्स का मालिक शौर्य दुकान बन्द कर अपना बैग लेकर अपनी कार की ओर जा रहा था तभी मैने और अमर ने दौडकर शोर्य से उसका बैग छीनकर उसे धक्का दे दिया और चलते चलते बैग की साईड की जेब से एक मोबाईल निकाल लिया। मैं भागते वक्त मण्डावर चौराहे की तरफ गढ्ढे में गिर गया था और हडबडाहट व डर की वजह से बैग वहीं पर छूट गया और हम सभी वहॉ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- गौतम कुमार पुत्र सुभाष निवासी ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

1-घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व 03 खोखा कारतूस व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
2-घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर (बिना नम्बर प्लेट)
3-घटना में दो मोबाईल XIAOMI कम्पनी व REALME (एक मोबाइल फोन XIAOMI लूट से संबंधित)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 786/2024 धारा 309(6) भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
2- मु0अ0सं0 858/24 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
3-मु0अ0सं0 168/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
4-मु0अ0सं0 194/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
5-मु0अ0सं0 576/ 2022 धारा 2(b)i/2(b)xi/3 गैगस्टर एक्त थाना रानीपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड
6-मु0अ0सं0 230/ 2020 धारा 34/379/411 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार उत्तराखण्ड
7-मु0अ0सं0 233/2020 धारा 379/411 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार उत्तराखण्ड
8-मु0अ0सं0 295/2022 धारा 379/411 भादवि थाना रानीपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड
9-मु0अ0सं0 290/2020 धारा 120बी/395/397 भादवि थाना रानीपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड
10-मु0अ0सं0 232/2020 धारा 34/379/411 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक उदयप्रताप थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
2-उ0नि0 मृदुल कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
3-उ0नि0 अमित कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
4-उ0नि0 शौकत अली स्वाट टीम

5-हे0का0 773 अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
6-का0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
7-का0 2543 शुभम थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
8-का0 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
9-का0 54 संदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
10-का0 1512 अचिन कुमार स्वाट टीम